चिकित्सा संस्थानों में स्थापित किए जाएंगे हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर

प्रदेश में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए सरकार का निर्णय

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश में आगामी दिनों में लू-तापघात की आशंका को देखते हुए चिकित्सा संस्थानों में हीटवेव बचाव एवं उपचार के लिए समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाओं के लिए चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कोर्नर स्थापित करने के साथ ही दवा एवं जांच सहित सभी माकूल इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने शुक्रवार को स्वास्थ्य भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में हीटवेव प्रबंधन, मौसमी बीमारियों सहित अन्य विषयों पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी चिकित्साधिकारी हीटवेव को लेकर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ काम करें। रोगी और उनके परिजनों के लिए छाया, शीतल पेयजल सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

राठौड़ ने कहा कि सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा संबंधित चिकित्सालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी, वाटर कूलर, जांच, दवा-ओआरएस एवं उपचार के प्रबंधन में कोई कमी नहीं रहे। उन्होंने आवश्यकता होने पर दवाओं की स्थानीय स्तर पर खरीद करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारी निरंतर फील्ड में जाकर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण करें। उन्होंने रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू कर रोगियों को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

राठौड़ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थों एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि को नियंत्रण को भीडभाड़ वाले स्थानों, छात्रावासों सहित अन्य स्थानों पर खाद्य पदार्थों एवं पानी की जांच कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को चिकित्सा संस्थानों पर कार्यरत एएनएम एवं सीएचओ के कार्यों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी चिकित्सा संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे फंक्शनल हों। सभी चिकित्सा संस्थान सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम एप में अपनी रिपोर्टिंग करें। उन्होंने कहा कि एप पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर चिकित्सा संस्थानों एवं उनके प्रभारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिस जिले का स्कोर कम होगा, उस जिले के संबंधित अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया में प्रकाशित होने वाली नकारात्मक खबरों की मॉनिटरिंग करते हुए वांछित सुधार करने पर भी बल दिया।

प्रमुख शासन सचिव ने प्रदेश में आपातकालीन रेफरल व्यवस्था के लिए संचालित की जा रही 108 एम्बुलेंस का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में सभी 108 एम्बुलेंस में साफ-सफाई, उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता और क्रियाशीलता के संबंध में आगामी दो दिवस में सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

राठौड़ ने टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, भवन निर्माण एवं भूमि आवंटन, ओडीके एप में सूचनाओं की भी समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत के तहत 100 दिवसीय अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में प्रभावी रूप से कार्य कर सघन स्क्रीनिंग कर निर्धारित लक्ष्य अर्जित किए जाएं।

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड ने शुक्रवार को हीटवेव प्रबंधन और मौसमी बीमारियों की तैयारियों पर चर्चा की।

- प्रमुख शासन सचिव ने दिए हीटवेव से बचाव एवं उपचार के समुचित प्रबंध करने के निर्देश
- अधिकारी रेपिड रेस्पॉन्स सिस्टम को प्रभावी रूप से लागू करें : गायत्री राठौड़
- खाद्य पदार्थों व पानी की जांच तथा 2 दिन में सभी एम्बुलेंस का सत्यापन कराने के निर्देश

अब 20 हजार वर्गमीटर से बड़े भूखण्ड भी होंगे उप-विभाजित

रीको प्रशासन ने लागू किए उप-विभाजन के नए नियम लागू

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और उद्यिमयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको ने बड़े औद्योगिक भूखण्डों के उप-विभाजन को सशर्त मंजूरी प्रदान कर दी है। इस निर्णय के तहत अब रीको के आवंटी अपने बड़े भूखण्ड छोटे हिस्सों में विभाजित कर विक्रय कर सकेंगे।

रीको प्रशासन ने रीको डिस्पोजल ऑफ लैंड रूल्स, 1979 के नियम 17 (ई) को पुन: लागू करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्डों का उप-विभाजन किया जा सकेगा। उप-विभाजन के बाद प्रत्येक उप-विभाजित भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर रहेगा।

निर्धारित शर्तों के अनुसार, भूखण्ड का उप-विभाजन भूमि आवंटन के 7 वर्ष बाद ही किया जा सकेगा और संबंधित भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए। उप-विभाजन की प्रक्रिया के तहत आवेदक को प्रस्तावित लेआउट प्लान रीको में जमा कराना होगा, जिसे लैंड प्लान कमेटी से अनुमोदित कराया जाएगा। यदि भूखण्ड पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का ऋण है, तो उसकी एनओसी भी आवश्यक होगी।

रीको ने स्पष्ट किया है कि उप-विभाजन के बाद विकसित होने वाले क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज, बिजली, स्ट्रीट लाइट, वर्षा जल संचयन और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाएं मूल आवंटी को अपने खर्च पर उपलब्ध करानी होंगी। इन सुविधाओं को तीन वर्षों के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नियमों के अनुसार, 1500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड के लिए न्यूनतम 18 मीटर तथा इससे बड़े भूखण्ड के लिए 24 मीटर चौड़ी आंतरिक सड़क का प्रावधान रखा गया है।

वित्तीय प्रावधानों के तहत उप-विभाजन शुल्क संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित दर का 2 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ट्रांसफर चार्ज एवं एक स्वीकृत गतिविधि से अन्य स्वीकृत गतिविधि के परिवर्तन हेतु स्वीकृति शुल्क भी नियमानुसार देय होंगे। उप-विभाजित भूखण्ड की लीज अवधि मूल लीज अवधि से अधिक नहीं होगी और नए खरीदार को पंजीकृत दस्तावेज की तिथि से दो वर्षों के भीतर भूखण्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि उद्यमियों द्वारा लंबे समय से बड़े भूखण्डों के उप-विभाजन की मांग की जा रही थी। ऐसे में यह निर्णय न केवल भूमि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करेगा, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा तथा नए निवेश एवं रोजगार के अवसर भी सृजित करेगा।

- इस निर्णय से बड़े भूखण्डों का बेहतर उपयोग होगा
- निवेशकों को उद्योग लगाने के अधिक अवसर मिलेंगे

शारीरिक दक्षता परीक्षा 22-23 को

जयपुर। गृह रक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत 84 पदों के लिए अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता (पीईटी) एवं शारीरिक मापतौल (पीएसटी) परीक्षा का आयोजन 22 एवं 23 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। उप महासमादेष्टा गृह रक्षा, विजय सिंह भाम्भू ने बताया कि इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 15 अप्रैल 2026 को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा स्थल पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित हों।

चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक गूंजा नारी शक्ति का जयघोष

जयपुर। महिला सशक्तिकरण और 'विकसित भारत' के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुक्रवार को जयपुर में 'नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन' का आयोजन किया गया। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में 'माय भारत' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर की सैकड़ों महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

सुबह 7:30 बजे चांदपोल से शुरू हुई यह रन बड़ी चौपड़ तक आयोजित की गई। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस दौड़ में छात्राओं, उद्यिमयों, पत्रकारों, खिलाड़ियों सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे मार्ग पर जोश और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला।

कार्यक्रम की थीम 'नारी शक्ति वंदन' रखी गई। रन को राज्य मंत्री मंजू बाघमार और पूर्व विधायक अलका गुर्जर ने फ्लैग-ऑफ किया। इस मौके पर पूर्व महापौर कुसुम यादव सहित कई प्रमुख महिलाएं उपस्थित रहीं। विशेष आकर्षण के रूप में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की कांस्य पदक विजेता पूजा और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 की स्वर्ण पदक विजेता कचनार चौधरी ने भी भाग लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया।

माय भारत राजस्थान के राज्य निदेशक देवेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य 'फिट इंडिया' के संदेश को आगे बढ़ाना और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

17 देशों के 43 प्रतिभागी रूबरू होंगे राजस्थान विधानसभा से : देवनानी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि शनिवार को विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिभागी राजस्थान विधानसभा का अवलोकन करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में बांग्लादेश, भूटान, घाना, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, जाम्बिया सहित 17 देशों के 43 प्रतिभागी भाग लेंगे।

स्पीकर देवनानी ने बताया कि लोकसभा सचिवालय के पार्लियामेंट्री रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसिस द्वारा इन्टरनेशनल लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग विषय पर विधायी मसौदा तैयार करने के लिए 37 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान विधान सभा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग योजना के अंतर्गत संचालित हो रहा है। देवनानी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशी प्रतिभागियों के लाभ के लिए विधायी मसौदा तैयार करने के वैचारिक जान, कौशल और तकनीकी को बढाना है।

स्पीकर देवनानी ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत 18 अप्रैल को विदेशी प्रतिनिधियों का दल राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का भ्रमण करेगा। इससे राज्य विधानमण्डल कि पहचान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकेगी।

उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को राज्य विधानमंडल की कार्यप्रणाली विधायी प्रक्रिया एवं संसदीय परंपराओं की जानकारी दी जाएगी। देवनानी ने बताया कि प्रतिभागियों की पीठासीन अधिकारियों और विधानसभा सचिव के साथ संवाद, प्रतिष्ठित विधि विशेषज्ञों एवं गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात तथा राज्य के प्रमुख विधि संस्थानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। स्पीकर देवनानी ने बताया कि विदेशी प्रतिभागियों को राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से परिचित कराने हेतु स्थानीय दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी कराया जाएगा। इस यात्रा से विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों को भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली और राज्यों की विधायी कार्यप्रणाली को निकट से समझने का अवसर मिलेगा, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसदीय सहयोग एवं ज्ञान का आदान-प्रदान सुदृढ़ होगा।

47 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा

जयपुर । नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान 'मिशन जागृति' के तहत जयपुर दक्षिण पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए 47 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अभियान के दौरान मादक पदार्थों सहित नकदी और वाहन भी बरामद किए गए।पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) राजर्षि राज के निर्देशन में चलाए गए इस विशेष अभियान में मानसरोवर, सोडाला और अशोक नगर सर्किल क्षेत्रों में एक साथ सघन कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में 13 प्रकरण दर्ज कर 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि आबकारी अधिनियम में 6 और अन्य मामलों में 8 आरोपियों को पकड़ा गया। इसके अलावा विभिन्न धाराओं में कुल 20 गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 490.69 ग्राम स्मैक, 456 ग्राम गांजा और 14 चरस बरामद की।